L. A. BILL No. IX 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०२३।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९७४ का महा. ९।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

एचबी २७८९—१ (५६—३-२०२३)

सन् १९७४ का महा. ९ की धारा ३२ क में संशोधन।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ की धारा ३२क की, उप-धारा (४) के पश्चात् निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् १९७४ का महा. ९।

"(५) सलाहकारी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों का पदावधि, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की पदावधि के साथ सहपर्यवसित होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ (सन् १९७४ का महा. ९) **अन्य बातों के साथ-साथ** पंढरपुर के भगवान विठ्ठल तथा देवी रुक्मिणी के मंदिरों में कार्यरत सेवक और पुरोहित वर्गों के सभी वंशानुगत अधिकारों, विशेषाधिकारों का उत्सादन करने और ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों का भी अर्जन करने तथा इस प्रयोजन के स्थापित की गई समिति में ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों को निहित करने और इन मंदिरों में बेहतर प्रशासन और शासन के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३२ क, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिति को, उनके कर्तव्यों और कृत्यों का अधिक कुशलता से निर्वहन करने के लिए सलाह देने हेतु, भगवान विठ्ठल और देवी रुक्मिणी तथा अन्य संतों के धार्मिक रिवाज और समारोह तथा परंपरा और प्रथाएँ तथा उनसे संबंधित मामलों समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों सें मिलकर बननेवाली किसी सलाहकार परिषद के गठन के लिए उपबंध करती है।

तथापि, सलाहकारी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों का पदावधि का अधिनियम में उपबंध नहीं किया गया है। इसलिए, सरकार उक्त अधिनियम में उपबंध करना इष्टकर समझती है। सलाहकारी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों का पदावधि, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की अवधि के साथ सहपर्यवसित होगा। इस प्रयोजन के लिए पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ की धारा ३२ क में यथोचित संशोधन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १६ मार्च, २०२३।

देवेंद्र फडणवीस
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ८ मार्च, २०२३।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई